

18

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि चक 21 एलएलडब्ल्यू के जमाबन्दी सम्वत 2069-72 खाता संख्या-19/17 खाता गुलाब सिंह आदि में प्रार्थी के गलत नाम "बलदेव सिंह पुत्र वजीर सिंह" व "बलवेन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह" तथा खाता संख्या-39/35 खाता नेक सिंह आदि में "बलदेव सिंह पुत्र वजीर सिंह" तथा खाता संख्या-20/27 खाता जगदीशराम आदि में "बलदेव सिंह पुत्र वजीर सिंह" व "बलवेन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह" के स्थान पर बलविन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह नाम दुरुस्त किया जावे। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ की रिपोर्ट में भी प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र का कोई विरोध नहीं किया तथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त किये जाने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के साथ ग्राम पंचायत मानुका द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। अतः ग्राम पंचायत मानुका के प्रमाण-पत्र व तहसीलदार हनुमानगढ़ की रिपोर्ट में प्रार्थी के कथनों का कोई विरोध नहीं हो कारण न्यायहित प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर चक 21 एलएलडब्ल्यू के जमाबन्दी सम्वत 2069-72 खाता संख्या-19/17 खाता गुलाब सिंह आदि में प्रार्थी के गलत नाम "बलदेव सिंह पुत्र वजीर सिंह" व "बलवेन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह" तथा खाता संख्या-39/35 खाता नेक सिंह आदि में "बलदेव सिंह पुत्र वजीर सिंह" तथा खाता संख्या-20/27 खाता जगदीशराम आदि में "बलदेव सिंह पुत्र वजीर सिंह" व "बलवेन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह" के स्थान पर बलविन्द्र सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र वजीर सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़